POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2013/अंक 07 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जुलाई, 2013 मूल्य 50 पैसे

उपभोक्ता आयोग के रजत जयंती समारोह में सामने आई सच्चाई

राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग को भले ही बने हुए 25 साल हो गए, लेकिन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के बजाय वह खुद पंगु हालत में है। उसके पास न तो खुद का भवन है न आवश्यक कर्मचारी। ऐसे में उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने की बात करना बेमानी है।

राज्य उपभोक्ता आयोग के रजत जयंती समारोह में यह सच्चाई उभरकर सामने आई। आयोग के अध्यक्ष अशोक परिहार ने खुद संसाधनों के अभाव का जिक्र करते हुए कहा कि हम जनता की सुनवाई पेड़ के नीचे भी कर लेंगे। लेकिन कर्मचारी ही नहीं होंगे तो उसकी कानूनी प्रक्रिया के तहत कागजी कार्रवाई कैसे की जा सकती है।

उन्होंने खाद्य-नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री परसादी लाल मीणा की मौजूदगी में अपनी व्यथा जताते हुए कहा कि कर्मचारियों की भर्ती के लिए सेवा नियम भी बना चुके हैं, बावजूद इसके कार्मिक विभाग अड़ंगा लगा रहा है। परिहार की पीड़ा सुनकर मीणा ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही समस्याओं का समाधान कर आयोग को सशक्त बनाएगी।

गांवों में भी लगेंगी उपभोक्ता अदालतें

खाद्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं और अन्य मामलों को निपटाने के लिए शहरों के साथ गांवों तक में उपभोक्ता अदालतें लगेंगी।

इसके लिए उन्होंने राज्य आयोग से गांवों में जाकर ऐसी अदालतें लगाने को कहा है। उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिल सके इसके लिए राज्य आयोग व जिला मंच भी तत्परता बरतें। वे अखबारों में छपी खबरों पर कार्रवाई कर खुद मामले दर्ज करें, इससे उपभोक्ताओं में आयोग के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के दायरे में लाने के फैसले को भले ही आमजन ऐतिहासिक मानते हो, राजनीतिक दल इस फैसले से सहमत नहीं है। जबकि पारदर्शिता और सुशासन की राग अलापने वाले दलों को इस फैसले से परहेज होना ही नहीं चाहिए!

अब तो खुद कांग्रेस जिसे जनता को यह अधिकार देने का श्रेय प्राप्त है, इस फैसले के विरोध में खड़ी है और आरटीआई पर लगाम लगाने की बात कर रही है। दरअसल, राजनीतिक पार्टियों को यह डर है कि लोग ऐसे सवाल पूछेंगे जिनसे उनकी पार्टी की अन्दरूनी जानकारियां आम होने लगेंगी। जैसे उन्हें किससे कितना चन्दा मिला और इसे किस तरह खर्च किया गया। चुनाव आदि के खर्च का ब्योरा भी मांगा जा सकता है। आरटीआई के जरिए इसी तरह के अन्य सवाल भी पूछे जा सकते हैं। उन्हें डर है कि इससे पार्टी की प्रतिष्ठा को अघात लगेगा।

लोगों का मानना है कि राजनीतिक दल खुद को किसी भी कानून से ऊपर बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल का सभी दलों ने विरोध किया। क्योंकि, इससे राजनीतिक दलों में उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, उद्योगपतियों से सांठगाठ, विदेशों में जमा काला धन जैसे मामलों से पर्दा उठने का डर था। फिलहाल राजनीतिक दलों ने आयोग के इस फैसले को भी एक बहस का मुद्दा बना दिया है। जबकि आमजन आयोग के इस फैसले से खुश हैं।

साडी-कंबल की जगह बंटेंगे चेक

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस साल बजट में बीपीएल, स्टेट बीपीएल और समकक्ष 39 लाख परिवारों की महिलाओं को दो-दो साड़ियां और पुरुषों को एक-एक कम्बल देने की घोषणा की गई थी। अफसरों ने काफी खोजबीन की लेकिन 80 लाख साड़ियां नहीं जुटा पाए।

मद्देनजर सरकार ने प्रदेशभर के हर ऐसे परिवार को 1500 रुपए का चेक देने का फैसला किया है। इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को 27 जून से 12 जुलाई के बीच चेक वितरण सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

किसानों के लिए सोलर पम्प योजना

राज्य सरकार किसानों को खेतों में सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर पम्प उपलब्ध कराएगी। इसके तहत उद्यानिकी विभाग की ओर से 86 फीसदी अनुदान भी दिया जाएगा। इससे किसानों की बिजली समस्या का समाधान हो सकेगा।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन व राष्ट्रीय कृषि विकास की सोलर पम्प परियोजना के तहत राज्य में दस हजार सौर ऊर्जा पम्प सैट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

उद्यानिकी विभाग पम्प सेट लगाने वाली कंपनियों की सूची जारी करेगा। कंपनी द्वारा किसान को खेत में सौर ऊर्जा आधारित पम्प का पूरा सेटअप तैयार करके दिया जाएगा। पम्प के पाइप को बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से भी जोड़ा जाएगा। यह सुविधा उन किसानों के लिए है, जिनके खेतों का आकार 0.5 हेक्टेयर है। किसानों को इसके लिए अपने हिस्से की राशि दस हजार रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा।

बनाएं जल उपभोक्ता समिति

बरसात का मौसम शुरू हो गया है। पानी की अनदेखी मतलब बहुत बड़ा नुकसान। प्रदेश में भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। गांवों में पीने का शुद्ध जल नहीं मिलता। इस समस्या का निदान सभी की सहभागिता से संभव है। इसके लिए गांवों में हर पंचायत स्तर पर जल उपभोक्ता समितियां बनाई जानी चाहिए।

यह समितियां पानी की बूंद-बूंद बचाने, खेतों में ड्रिप व स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई करने, परम्परागत जल स्त्रोतों का पुनरोद्धार व नवीन जल स्त्रोतों के निर्माण, वर्षा जल को जमीन के भीतर पहुंचाने के लिए भूजल पुनर्भरण तकनीकों को बढ़ावा देने और जल प्रबंधन में सहभागिता जुटाने जैसे तौर-तरीकों के लिए ग्रामीण समुदाय को जागृत करें। साथ ही किसान भाईयों को जल सुरक्षा से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने में सहयोग करें।

-गिरिराज प्रसाद वैष्णव, नागौर

कृषि ऋण माफी योजना में घपला

केन्द्र सरकार की कृषि माफी व राहत योजना में राजस्थान में 16.34 करोड़ रुपए का घपला सामने आया है। कैग ने देश भर में इस योजना में 52 हजार करोड़ का घोटाला बताया था।

राजस्थान में जिला सहकारी बैंकों के जरिए ये ऋण बांटे गए थे। नाबार्ड ने राज्य के राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक को इस मामले की पड़ताल करने व रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

जांच में सामने आया कि 29 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने इस योजना का 12 हजार 504 अपात्र किसानों को 16.34 करोड़ रुपए का लाभ दे दिया। जबकि राज्य में पात्रता के बावजूद 26 हजार 39 किसान योजना से वंचित रह गए। इन किसानों को 44.16 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा सकता था। घोटाले के आरोपों के बाद कुछ सहकारी बैंकों ने अपात्र किसानों को दी गई राहत की राशि के 7.77 करोड़ रुपए का नाबार्ड को रिफण्ड कर दिया है।

अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा चाहते हैं, तो वसीयत जरूर लिखें!

गांवों में कम पढ़े-लिखे लोग वसीयत लिखना नहीं जानते। वसीयत का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पत्ति के बटवारे के बारे में अपनी इच्छा की लिखित, कानूनी व वैधानिक घोषणा करना। हर पुरूष व महिला को अपनी इच्छा के मुताबिक वसीयत करने व लिखने का अधिकार कानून में दिया गया है।

- वसीयत खुद लिखी जा सकती है या अनपढ़ होने पर किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से लिखवाई जा सकती है। लिखवाने के बाद उसे ध्यान से दोबारा पढ़ाकर सुनना चाहिए। इसके बाद अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी करनी चाहिए। वसीयत सादा कागज पर भी लिखी जा सकती है। वसीयत लिखने व लिखाने वाला व्यक्ति स्वस्थ्य चित्त होना चाहिए।
- वसीयत पूरी तरह से लिखाने के बाद उस पर दो जानकार व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराने चाहिए। वसीयत का सुरक्षा की दृष्टि से पंजीयन भी करा सकते हैं। वसीयत करने वाला व्यक्ति जब चाहे अपनी वसीयत को परिवर्तित भी कर सकता है। वसीयत करते समय यह खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी सम्पत्ति सही लोगों के पास जा रही है।
- यदि वसीयत नहीं की गई हो, तो ऐसी सम्पत्ति पर उस व्यक्ति के लड़के-लड़कियों को बराबर सम्पत्ति प्राप्त करने का हक कानून में दिया गया है। पुराने कानून में लड़कियों का सम्पत्ति में हिस्सा नहीं था, लेकिन अब उन्हें सम्पत्ति में बराबर की सम्पत्ति प्राप्त करने का हक दिया गया है।

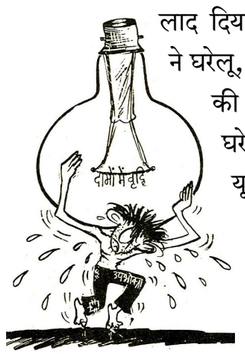

उपकरण फुंके तो मिलेगा हर्जाना!

हाईवोल्टेज से नुकसान होने पर बिजली वितरण कंपनियां अब अपने उपभोक्ताओं को हर्जाना देंगी। इतना ही नहीं विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्या, नया कनेक्शन या कोई दूसरा काम तय समय में पूरा नहीं होने पर पर भी कंपनियों को क्षतिपूर्ति देनी होगी।

विद्युत कंपनियों के मनमाने रवैये पर नकेल कसने के लिए राजस्थान विद्युत नियामक आयोग विद्युत आपूर्ति से जुड़े स्टैण्डर्ड ऑफ परफॉरमेंस के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के सचिव जी.के. शर्मा ने कहा है कि स्टैण्डर्ड ऑफ परफॉरमेंस का नया प्रस्ताव तैयार कर आपत्तियां मंगाई गई हैं। संभवतया जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।

प्रदेश में बढ़े पेंशन पाने वाले लोग

प्रदेश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन स्कीमों में किए गए सुधारों के मॉडल को केन्द्र सरकार पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रही है। पेंशन स्कीमों में राज्य सरकार द्वारा सरकारी बाधाएं दूर करने से पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

राज्य सरकार ने अब सभी ग्राम पंचायतों पर पेंशन पाने वालों के नाम की सूची चस्पा करने का निर्णय लिया है। इससे गलत तरीकों से पेंशन स्वीकृत कराने वालों और एक व्यक्ति को दो बार पेंशन जैसे मामलों पर रोक लग सकेगी। डाक विभाग से समन्वय कर डाकियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। उनसे एक पते पर एक ही महीने में दो बार पेंशन वाले मामलों पर नजर रखने को कहा जाएगा।

भ्रष्टाचार में एक पार्टी ग्रेजुएट दूसरी पीएचडी

अन्ना हजारे ने कहा है कि भ्रष्टाचार में एक दल ग्रेजुएट है तो दूसरा पीएचडी। एक पार्टी को हटाकर दूसरे को सत्ता सौंपने से कुछ नहीं बदलेगा। लोगों के एकजुट हुए बिना व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव मुश्किल है।

जनतंत्र यात्रा के साथ अजमेर आए अन्ना ने पत्रकारों से कहा कि संविधान में 'प्रजा, सत्ता और लोकतंत्र' का उल्लेख है, लेकिन पक्ष और विपक्ष ने सत्ता कब्जा ली है। इसीलिए लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। चुनाव आयोग ने संविधान से परे पार्टियों को मान्यता देकर जनता से धोखाधड़ी की है।

आज राजनीतिक दलों में सत्ता पाने की होड़ मची है। संसद और विधान सभाओं में कई बाहुबली और भ्रष्ट लोग काबिज हैं। उन्हें नकारने के लिए जनता को ही जागृत होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी जन लोकपाल बिल नहीं लाना चाहती।

युवा वर्ग खुद बनने लगा है उपभोक्ता कार्यकर्ता

गुमानपुरा, कोटा की राजीव कॉलोनी में रहने वाली मेहरून्निसा स्नातक तक शिक्षा प्राप्त महिला है। उसने कट्स द्वारा संचालित 'ग्रेनिर्का' परियोजना की हर गतिविधि में भाग लिया। 2011 में उसके पिता ने मो. हारून नामक ठेकेदार को, जो कोटा छावनी का निवासी है, सामान और मजदूरी सहित कोटा स्टोन लगाने के लिए 25000 रूपए का ठेका दिया था। हारून को 25000 रूपए दे दिए गए। पांच दिन बाद कुछ कोटा स्टोनों में दरारें आ गई। हारून को तत्काल सूचना दी गई तो उसने कहा कि ऐसा होता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और दरारों वाले कोटा स्टोन को बदलने के लिए सामान और मजदूरी के तौर पर वह अतिरिक्त पैसे लेगा।

मेहरून्निसा और उसके पिता ने ठेकेदार को दलील दी कि यह उसी की गलती है, क्योंकि उसने घटिया सामग्री इस्तेमाल की है और इसलिए उसे कोटा स्टोन बिना पैसे लिए बदलना चाहिए। जब ठेकेदार नहीं माना तो मेहरून्निसा ने उसे उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि यदि वह जिला उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत कर देगी तो उसे पूरे 25000 रूपए लौटाने पड़ेंगे और अलग से मुआवजा भी देना पड़ेगा। ठेकेदार डर गया, उसने इस सूचना के लिए मेहरून्निसा को धन्यवाद दिया और बिना किसी अतिरिक्त पैसा लिए दरारों वाले कोटा स्टोनों को बदल दिया।

प्रदेश में फिर बढ़ी बिजली की दरें

महंगाई से त्रस्त जनता पर सरकार ने फिर बोझ लाद दिया है। बिजली कंपनियों ने घरेलू, अघरेलू और कृषि श्रेणी की बिजली दरें बढ़ा दी हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को 500 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने पर उसके लिए 30 पैसे प्रति यूनिट अधिक देने होंगे, वहीं अघरेलू श्रेणी पर 35 पैसे प्रति यूनिट का भार आएगा।

कृषि उपभोक्ताओं की दरों में भी वृद्धि की गई है, लेकिन यह भार राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। इसके लिए सरकार द्वारा 5 हजार 774 करोड़ रुपए का अनुदान बिजली कंपनियों को दिया जाएगा। किसानों पर इस बढ़ोतरी का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राजनीतिक दल भी आरटीआई के दायरे में

लोग अब देश के राजनीतिक दलों से भी सूचना के अधिकार के तहत सवाल पूछ सकेंगे। केन्द्रीय सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने यह फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि पार्टियां सरकार से कई सुविधाएं लेती हैं, उन्हें आयकर में छूट और सस्ती जमीने दी जाती है। इसलिए उन्हें लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा।

फिलहाल कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा, रांकापा और बसपा लोक प्राधिकरण हैं और आरटीआई की धारा 2(एच) के तहत इसके दायरे में आते हैं। आयोग के इस फैसले से राजनीतिक दल सहमे हुए हैं। उन्होंने इसका विरोध भी जताया है।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित। 'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485